



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234783
CG-DL-E-01042022-234783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944

No. 1498]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

सं. 65/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 1559(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021000	यूरिया, जलीय घोल में हो या नहीं हो	राज्य व्यापार उद्यम	विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का	विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया

			आयात 31.03. 2022 तक की अवधि के लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है। तथापि, गैर कृषि प्रयोजन/औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के अभिप्राय से तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात “मुक्त” होगा।	का आयात 31.03.2023 तक की अवधि के लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है। तथापि, गैर कृषि प्रयोजन/औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के अभिप्राय से तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात “मुक्त” होगा।
--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से सरकारी खाते में यूरिया का आयात दिनांक 31.03.2023 तक अनुमत है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/102/एम-02/पीसी-2(क) पार्ट-II/ई-1715]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

No. 65/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 1559(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021000] of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under :—

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
31021000	Urea, whether or not in aqueous solution	State Trading Enterprise	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.3.2022. However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/ industrial use/ NPK Manufacturing shall be “Free”.	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.3.2023. However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/ industrial use/ NPK Manufacturing shall be “Free”.

2. Effect of this Notification:

Import of Urea on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL) subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020, **till 31.03.2023.**

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and
Ex-officio Addl. Secy.